

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 134/2020

दायर तारीख :- 1-10-2020

1. नरेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री हरिसिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी भावरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर, राज0। — प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)। — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राज. अधिनियम बाबत नाम दुरुस्ती

उपस्थित : श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :- 25-3-21

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम भावरू के खाता संख्या 42 के हाल खसरा नंबर 4741/1239/0.0160 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 49/3800, खाता संख्या 44 के हाल आराजी खसरा नंबर 1209/4459/0.13, 1251/4541/0.0374, 4752/1241/0.01, 4756/1240/0.01 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.1874 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/25, खाता संख्या 45 के हाल आराजी खसरा नंबर 4737/1245/0.0360 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/10, खाता संख्या 975 के हाल आराजी खसरा नंबर 4734/1245/0.0310 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/5, खाता संख्या 582 के हाल आराजी खसरा नंबर 4743/1239/0.0288, 4746/1239/0.288 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0576 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/10 इसी प्रकार खाता संख्या 584 के हाल खसरा नंबर 1243/0.03, 4760/1244/0.01 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/20, खाता संख्या 589 के हाल आराजी खसरा नंबर 4749/1242/0.0262, 1451/1242/0.0280, 4753/1241/0.01, 4758/1240/0.01 कुल किता 4 कुल रकबा 0.0742 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/10 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता के फौत हो जाने के बाद प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की विरासत का नामाङ्कन संख्या 1018 दिनांक 20.08.2001 के

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्ड, आधार कार्ड 7163-5858-4566 आदि में वास्तविक नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह है। उपर्युक्त विवेचन से प्रार्थी नरेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह का नाम काबिले दुरुस्ती है। भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संशोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वाकैँ ग्राम भाबरू के वाकैँ ग्राम भाबरू खसरा नंबर 4741/1239/0.0160, 1209/4459/0.13, 1251/4541/0.0374, 4752/1241/0.01, 4756/1240/0.01, 4737/1245/0.0360, 4734/1245/0.0310, 4743/1239/0.0288, 4746/1239/0.0288, 1243/0.03, 4760/1244/0.01, 4749/1242/0.0262, 4751/1242/0.0280, 4753/1241/0.01, 4758/1240/0.01 हैक्टेयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लीलू सिंह पुत्र हरिसिंह के स्थान पर नरेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह दर्ज किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 25-3-21 सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)